(4) पाकिस्तान (सिंध) के आए विस्थापित व्यक्ति (1971 के भारत-पाक संघर्ष के फल-स्वरूप विस्थापित)	00.58
(5) तिब्बती शरणार्थी	00.56
(6) प्रत्यावासी	
श्रीलंका से	2.76
बर्मा से	2.07
मोजाम्बिक/युगांडा/जेरे। वियतनाम से	0.14

(ख) विस्थापित व्यक्तियों/प्रवासियों को उनकी उचित योग्यता तथा जहां तक संभव हो, सम्बन्धित परिवारों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को ध्यान में रख कर कृषि, लघु, व्यवसाय, व्यापार, रोजगार जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन बसाया जाता है।

(ग) इनके पुनर्वास के स्थान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब-महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों में है।

(ख) और (ग) के बारे में विस्तृत जानकारी सभा की मेज पर प्रति वर्ष रखी गई वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है, अन्तिम रिपोर्ट वर्ष 1676–77 की है।

Hire Purchase Price of the Slum Tenements

777. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4560 dated 24th March, 1975 and USQ 2608 dated 5th December, 1977 regarding hire purchase price of the slum tenements and state:

(a) the date on which the decision to allot the slum tenements on hire purchase basis to the slum dwellers of Delhi was taken; and

(b) how long it takes to finally close the accounts of constructed tenements after their completion?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) On 2nd/3rd August, 1963, it was decided by Government to permit the sale of houses built under the Slum Clearance Scheme.

(b) Normaly, it takes six months after the date of completion of the work to close the accounts.

दुग्ध डेयरी योजना के लिये विदेशी सहायता

778. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बड़े नगरों में चल रही दुग्ध डेयरी योजनाओं के लिए दी जा रही विदेशी सहायता का दुरुपयोग हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है :

(ग) क्या सरकार ने उसकी जांच कराने के लिए एक समिति अथवा आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरानाला) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।